

09/25

पत्रावली पेश हुयी / अधिकता  
प्राथम्यता उपस्थित। पत्रावली का  
अवलोकन किया गया। पत्रावली  
में प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा-151  
बाबत न्यायालय द्वारा जारी  
दिनांक 21/5/12 को जारी है  
आदेश की अवहेलना कर उच्च  
स्तर पर किए जा रहे निर्माण  
को हटाकर भूमि की है आदेश/  
दावा-दायगी की दिनांक की

१



फर्द अहकाम

रमेशकुंजी बनाम बरामाज

①

न्यायालय

संख्या ७७७७ विधि २५२००५

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	१/२५	<p>स्थिति बहाल करने हेतु पेश हुआ है।</p> <p>प्राथी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - १५ सिप्रू सं० स्वतंत्र रूप से पेश किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र में किसी वाद का उल्लेख नहीं है कि प्रापत्र किसके साथ पेश हुआ है अथवा क्या कोई वाद विचाराधीन है, जिसके सम्बन्ध में यह प्रापत्र अन्तर्गत धारा - १५ CPC पेश किया गया है।</p> <p>प्राथी द्वारा प्रस्तुत प्रापत्र अन्तर्गत धारा - १५ CPC में न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर पुनः बहाली का अनुतोष</p>	

राज्यपाल कलकत्ता  
जयपुर शहर प्रकाश

फर्द अहकाम

विशेष दर्जा बनाम ~~...~~ कांड

न्यायालय कलक्टर

नाम न्यायालय नगर प्रधम

केस संख्या ७०५५५ विविध / २५/१२५५

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	०९/०१/२५	<p>चाहा गया है। प्रार्थी द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश ३९ नियम २, सि० प्र० सं० भी समान विषय - वस्तु पर दिनांक २५/१/२५ को पेश हुआ है, जो कि न्यायालय हाजिरी में विचाराधीन है। आदेश ३९ नियम २ सि० प्र० सं० में <u>आदेश की अवज्ञा के स्पष्ट प्रावधान वर्णित हैं।</u></p> <p>अतः विधि में जहाँ सुस्पष्ट प्रावधान मौजूद हैं, वहाँ पर अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने का औचित्य नहीं है। इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र <del>...</del> अन्तर्गत द्वारा - १९ सिविल प्रक्रिया संहिता पर कार्यवाही ड्रॉप की जाती है।</p>

न्यायालय कलक्टर नगर प्रधम


फर्द अहकाम

(4)

तलापक काराखाना  
जयपुर शहर प्रथम

विधवा (की) बनाम (विधवा) की

दिनांक 24/11/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
9/1/25	<p>निर्णय आज्ञा दिनांक 9/1/25 की की सुनाया गया। फावली फैलल कुमार होकर दाखिल दफ्तर में।</p> <p style="text-align: right;">   <b>तलापक काराखाना</b>  <b>जयपुर शहर प्रथम</b> </p>	